



# ॥ कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी ॥

(मा०शि० एवं साक्षरता)

पत्रांक.....०३...../मा०शि०

E-mail ID dposecondarymdb@gmail.com



महत्वपूर्ण

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, मधुबनी।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,  
जिला-मधुबनी।

मधुबनी, दिनांक.....१०.....जनवरी २०२६ ई०।

विषय:-

विद्यालय में प्रबंध समिति गठन करने के संदर्भ में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि दिनांक ०३.०१.२०२६ को जिला स्तरीय आहूत समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के आदेशानुसार जिले के सभी राजकीयकृत/परियोजना/उत्क्रमित विद्यालय में प्रबंध समिति का नियमित बैठक (निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को) आयोजित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ज्ञात हो कि विभागीय अधिसूचना संख्या ३८९/पटना दिनांक ०३.०३.२०२२ के द्वारा सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन, संरचना, अवधि कृत्य एवं शक्तियों के संदर्भ में व्यापक निर्देश दिए गए हैं। प्रासंगिक अधिसूचना की प्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि आप अपने प्रखण्डाधीन सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित (प्रत्येक माह) प्रबंध समिति का बैठक आयोजित करने हेतु सभी संबंधित प्रधानाध्यापक-सह-सदस्य सचिव को निदेशित करें तथा निम्न फार्मेट में प्रत्येक माह के १० तारीख को अपने प्रखण्डाधीन सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रबंध समिति के बैठक संबंधी प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मा०शि० एवं साक्षरता कार्यालय Email Id- dposecondary@gmail.com & Whatsapp Group के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराएँ।

अतएव उक्त के आलोक में आप सभी को निदेशित किया जाता है कि प्रबंध समिति का गठन हुआ है कि नहीं, से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अंकित करते हुए अपने-अपने प्रखण्डाधीन विद्यालय से वांछित सूचना अंकित करते हुए निम्नांकित विहित प्रपत्र में समेकित कर पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर अचूक रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र

| क्र० सं० | प्रखण्ड का नाम | विद्यालय का नाम | प्रबंध समिति का गठन कि तिथि | प्रबंध समिति की अंतिम बैठक की तिथि | अभ्युक्ति |
|----------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1        |                |                 |                             |                                    |           |
| 2        |                |                 |                             |                                    |           |
| 3        |                |                 |                             |                                    |           |
| 4        |                |                 |                             |                                    |           |

विश्वामाजूम

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता,  
मधुबनी।

ज्ञापांक.....०३...../मा०शि०, मधुबनी, दिनांक.....१०.....जनवरी २०२६ ई०।

प्रतिलिपि:- जिले के सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, राजकीयकृत/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं उत्क्रमित विद्यालय, जिला मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने विद्यालय का वांछित सूचना विहित प्रपत्र में अंकित कर संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, मधुबनी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मधुबनी की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, मधुबनी।

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक-03/09/2022

संघिका संख्या-मा0शि0/सा0प्र0अधि0-म0-99/93 (खण्ड) 389/बिहार अराजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम 1981 की धारा-06 एवं संशोधित अधिनियम 1993 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के प्रत्येक राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति के गठन हेतु पूर्व में आवश्यक प्रावधान विभागीय अधिसूचना संख्या-436 दिनांक-28.04.1988, 410 दिनांक-23.05.2001 एवं 259 दिनांक-22.02.2002 के द्वारा किया गया है।

पूर्व से निर्गत सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम 1981 की धारा-16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीयकृत/परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- (क) यह नियमावली बिहार राजकीयकृत माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं संचालन नियमावली, 2022 कहा जा सकेगा।
- (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।
- (ग) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ- जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981;
- (ख) 'उप-शिक्षा निदेशक' से अभिप्रेत है क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक;
- (ग) 'मान्यता प्राप्त विद्यालय' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय;
- (घ) 'प्रधानाध्यापक' से अभिप्रेत है सक्षम पदाधिकारी द्वारा विद्यालय के प्रधान के रूप में नियुक्त शिक्षक, चाहे उसका पदनाम जो भी हो;
- (ङ) 'शिक्षक' से अभिप्रेत है किसी राजकीयकृत माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति जिसमें प्रधानाध्यापक भी सम्मिलित हैं;
- (च) 'शिक्षकेतर कर्मचारी' से अभिप्रेत है शिक्षकों को छोड़कर विद्यालय के अन्य सभी पूर्णकालिक कर्मचारी;
- (छ) 'प्रबंध समिति' से अभिप्रेत है इस अधिसूचना के अधीन गठित राजकीयकृत माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति;



- (ज) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-06 (2) द्वारा मनोनीत अध्यक्ष ;  
 (झ) 'सचिव' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-06 में निर्दिष्ट पदेन सदस्य सचिव।  
 3. (क) बिहार अराजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण-ग्रहण) अधिनियम, 1981 एवं संशोधित अधिनियम 1993 की धारा-03 के अन्तर्गत प्रबंध समिति के अध्यक्ष का मनोनयन राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 05 वर्ष अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त, जो भी पहले हो, होगा।

(ख) विभाग द्वारा जिन विद्यालयों में राज्य सभा सदस्य/लोक सभा सदस्य/विधान परिषद् के सदस्य को माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाएगा, उन विद्यालयों को छोड़कर विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य अपने क्षेत्राधीन सभी अन्य माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

मनोनीत होने के उपरान्त राज्य सभा सदस्य/लोक सभा सदस्य/विधान परिषद् के सदस्य पत्र निर्गत तिथि से संबंधित विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष माने जायेंगे। ऐसे विद्यालयों में पूर्व से पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे माननीय विधान सभा सदस्य अधिसूचना निर्गत की तिथि से अध्यक्ष नहीं रहेंगे।

मनोनयन, माननीय राज्य सभा/लोक सभा सदस्य द्वारा अधीच्छा प्राप्त होने पर विभाग द्वारा किया जाएगा। माननीय सभापति बिहार विधान परिषद् से प्राप्त अनुशंसा/सहमति के आलोक में विधान परिषद् सदस्यों का मनोनयन किया जा सकेगा। यदि माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद् के सभापति/बिहार विधान सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य सरकार के मंत्री हों, तो वे अपना प्रतिनिधि मनोनीत कर सकेंगे एवं मनोनयन की सूचना एक पत्र द्वारा संबंधित विद्यालय के प्रबंध समिति के सचिव को देंगे। मनोनीत सदस्य पदेन अध्यक्ष नहीं होंगे, किन्तु सभी सदस्य बहुमत से अध्यक्ष का चयन कर लेंगे।

4. विद्यालय का प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य सचिव  
 5. विद्यालय के शिक्षकों में से उक्त विद्यालय से सेवा अवधि को वरीयता क्रम में वार्षिक चक्रानुक्रम द्वारा एक शैक्षणिक सत्र के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत एक शिक्षक प्रतिनिधि। - सदस्य  
 6. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंध समिति के पदेन सदस्य होंगे। जिस क्षेत्र में विद्यालय अवस्थित है उस क्षेत्र के एक सरकारी सेवक यथा नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी में से कोई एक अन्य पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे। उक्त पदाधिकारी का मनोनयन अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक की सहमति से होगा।  
 7. एक ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा विद्यालय की स्थापना हेतु चल/अचल संपत्ति दान स्वरूप दिया हो, अथवा एक ऐसे स्थानीय व्यक्ति जिन्होंने विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो अथवा विद्यालय की विकास में अभिरुचि रखता हो - सदस्य  
 8. एक शिक्षा प्रेमी - सदस्य  
 9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य - सदस्य

(ख) क्रमांक-08 एवं 09 का चयन क्रमांक-03, 04 एवं 06 के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। चयन इस ढंग से किया जाए, ताकि क्रमांक-08 एवं 09 के सदस्यों में से कोई एक सदस्य महिला रहे।



(ग) क्रमांक-07 के सदस्य का चयन क्रमांक-03, 04, 06, 08 एवं 09 के सदस्यों द्वारा बैठक में रख कर किया जाएगा।

(घ) अन्त में क्रमांक-05 के सदस्य का चयन होगा, जो क्रमांक-03, 04, 06, 08 एवं 09 के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी वरीयता को सुनिश्चित करेंगे।

10. नाम निर्देशित/संबंधित सदस्यों की पदावधि नाम निर्देशन/संबंधन की तिथि से पाँच वर्षों की होगी। परन्तु ऐसे नाम निर्देशित सदस्य, जिनका नाम निर्देशन किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने अथवा पद धारण करने के आधार पर किया गया है, वे प्रतिनिधित्व समाप्त होने पर अथवा पद से हटने के बाद समिति के सदस्य नहीं रह जाएँगे।

11. (क) प्रबंध समिति की बैठक सामान्यतः प्रतिमाह होगी। परन्तु कैलेंडर वर्ष में चार बैठकें अनिवार्य रूप से माह जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर में होंगी। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की तिथि का निर्धारण कर प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक-सह-पदेन सदस्य सचिव सभी को संसूचित करेंगे। विशेष परिस्थिति में निर्धारित तिथि को यदि बैठक नहीं हो पाती है, तो प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक-सह-पदेन सदस्य सचिव अध्यक्ष की अनुमति से नई तिथि का निर्धारण कर सकेंगे।

(ख) अध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यदि अध्यक्ष निर्धारित तिथि को किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो वैसी स्थिति में बैठक की कार्यवाही पदेन सदस्य सचिव-सह-प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में निर्धारित कोरम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में सम्पादित की जायेगी।

12. विद्यालय प्रबंध समिति की शक्तियाँ एवं कृत्यः-

(1) प्रबंध समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के कार्यकलापों पर निगरानी रखना एवं निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना कि प्रधानाध्यापक:-

(i) विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण में सुधार लायें;

(ii) विद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखें;

(iii) शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण रखें;

(iv) शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समयनिष्ठ बनायें;

(v) विद्यालय के उपस्कर एवं अन्य सामग्री का संरक्षण करें एवं उनका लेखा रखें;

(ख) विद्यालय के रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकार का ध्यान आकृष्ट कराना।

(ग) शिक्षकों के गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(घ) विद्यालय के संचालन में अभिभावकों एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग की व्यवस्था करना।

(ङ) विद्यालय भवन की मरम्मत एवं सफाई की व्यवस्था करना;

(च) विद्यालय के लिए विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करना;

(छ) विद्यालय के विकास के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान राशि को समय पर उपयोग एवं समुचित लेखा संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराना; और

(ज) विद्यालय के हित में अन्य आवश्यक कार्यवाई करना।

*Signature*

(झ) समिति के सभी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाएँगे।

13. प्रबंध समिति के पदेन सचिव (प्रधानाध्यापक) के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

- (क) अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर प्रबंध समिति की बैठक समय-समय पर बुलाना;
- (ख) बैठक की कार्यवाही तैयार करना और उसे समुचित ढंग से रखना;
- (ग) विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना;
- (घ) विद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखना;
- (ङ.) विद्यालय में शिक्षण की प्रगति पर ध्यान रखना;
- (च) पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षकों द्वारा दिए गए शिक्षण की प्रगति पर ध्यान रखना;
- (छ) विद्यालय, भवन, उपस्कर, पाठ्य सामग्री, कक्षाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि की समुचित सफाई एवं रख-रखाव पर ध्यान देना;
- (ज) विद्यालय की मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं का समय पर संचालन और पुस्तिकाओं के सही मूल्यांकन एवं समय पर परीक्षाफल के प्रकाशन पर नियंत्रण करना;
- (झ) विद्यालय संचालन के लिए सरकार से प्राप्त धनराशि तथा विद्यालय निधि का नियमानुसार एवं समुचित उपयोग करना एवं संबंधित लेखा का संतोषप्रद संधारण करना;
- (ञ) विद्यालय लेखा का समय-समय पर अंकेशन कराना तथा अंकेशन आपत्तियों का निराकरण करना;
- (ट) विद्यालय में शिक्षा के साथ-साथ खेल-कूद, वाद-विवाद प्रतियोगिता अन्य बाल विकासोपयोगी कार्यक्रम की व्यवस्था करना;
- (ठ) शिक्षकों के परामर्श से शैक्षणिक तथा अन्य उपयोगी कार्यक्रमों का निर्धारण तथा स्कूल कैलेंडर लागू करने की व्यवस्था करना; और
- (ड) विद्यालय का चतुर्दिक विकास करना। साथ ही सौहार्दपूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने की दिशा में अभिभावक-शिक्षक एसोसिएशन गठित कराकर इनकी बैठकें समय-समय पर आयोजित करना। अभिभावकों की बैठक प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बार अवश्य बुलायी जाएगी।

14. कोरम के लिए कम-से-कम तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। किन्तु इन तीन सदस्यों में कम-से-कम दाता सदस्य/शिक्षा प्रेमी सदस्य/अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों में से एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

15. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रबंध समिति का अवक्रमण कर सकेगी अथवा उसे स्थगित/निलम्बित कर सकेगी। किन्तु यह अवक्रमण/स्थगन/निलम्बन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर ही किया जा सकेगा।

16. (क) विद्यालय के विकास कोष/छात्र कोष एवं अन्य राशि का व्यय निर्गत विभागीय पत्र/परिपत्र एवं निदेश के आलोक में किया जाएगा।

(ख) विद्यालय के विकास कार्य योजना/मद/कार्य के लिए समिति ही स्वीकृति प्रदान करेगी। योजना/मद/कार्य को सम्पन्न कराने हेतु राशि को भी स्वीकृति समिति ही प्रदान करेगी। तदनुसार राशि की निकासी की जा सकेगी। विकास निधि विद्यालय के प्रधानाध्यापक (पदेन सचिव होंगे) तथा (शिक्षक प्रतिनिधि को छोड़कर) किसी भी एक

*[Signature]*

शिक्षक जिसे प्रबंध समिति नामित करेगी, के संयुक्त नाम से खोले गए बचत खाता में राशि जमा की जाएगी तथा इनके संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जाएगी।

17. समिति का अवक्रमण/स्थगन/निलम्बन हो जाता है, तो प्रधानाध्यापक तथा जिस प्रखण्ड में विद्यालय अवस्थित है, उस प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, जो यथा निर्देशित अधिसूचित होगी, की एक उप समिति, कार्यकारी प्रबंध समिति के रूप में प्रबंध समिति के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर सकेगी। किन्तु यह व्यवस्था अधिकतम मात्र तीन माह के लिए चालू रहेगी। इस अवधि के अन्तर्गत नियमित प्रबंध समिति को पुनर्जीवित करने की कार्रवाई करेगी।
18. जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय के प्रबंध समिति के गठन एवं बैठक के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मनोज कुमार)

विशेष सचिव-सह-निदेशक (मा0शि0),  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-03/03/2022

ज्ञापक- मा0शि0/सा0प्र0अधि0-प0-99/93 (खण्ड)-389

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक (मा0शि0),  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।